राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1113 / 2022

कृष्ण अवतार गुप्ता

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, दौसा।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 06.01.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी ने अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की नियुक्ति प्रत्यर्थी विभाग के अधीन हुई थी। अपीलार्थी की पदोन्नति प्रधानाचार्य के पद पर हुई एवं इसके पश्चात अपीलार्थी दिनांक 28.02.2022 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। अपीलार्थी 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग है। इसके बावजूद भी अपीलार्थी का आदेश दिनांक 29.09.2019 के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खुरीकलां, दौसा से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गैराई, करौली में स्थानान्तरण किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय में एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 18014 / 2019 प्रस्तुत की, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 24.10.2019 को स्थगन आदेश पारित किया। स्थगन आदेश की पालना में दिनांक 30.10.2019 को अपीलार्थी ने वापस राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खुरीकलां में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य ग्रहण कर लिया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 3833 / 2019 प्रस्तुत की, जिसमें अधिकरण ने प्रत्यर्थीगण को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के अपीलार्थी को निर्देश दिये, जिस पर अपीलार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। दिनांक

04.02.2020 को प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थी के अभ्यावेदन को खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण के समक्ष अपील संख्या–443/2020 प्रस्तुत की तथा अपीलार्थी लगातार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खुरीकलां दौसा में ही प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहा। अधिकरण ने उक्त अपील दिनांक 30.03.2021 को अंतिम रूप से निर्णित करते हुए प्रत्यर्थीगण द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.09.2019 तथा 04.02.2020 को निरस्त किया तथा अपीलार्थी को यथावत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खुरीकलां, दौसा में ही प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित रखा गया। इसके पश्चात् प्रत्यर्थीगण ने आदेश दिनांक 17.06. 2021 के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खुरीकलां से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तालचिडी, महुवा, जिला दौसा में प्रधानाचार्य के पद पर किया। जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 21.06.2021 को उक्त स्थान पर कार्य ग्रहण कर लिया। प्रत्यर्थीगण ने जून, 2021 से अपीलार्थी को वेतन का भुगतान कर दिया परन्तु अक्टूबर, 2019 से मई, 2021 के वेतन का भुगतान अपीलार्थी द्वारा उपस्थित होने के बावजूद नहीं किया गया। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने अक्टूबर, 2019 से मई, 2021 तक का वेतन 12 प्रतिशत ब्याज सहित दिलवाये जाने की प्रार्थना की है।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि निदेशालय, बीकानेर से दिनांक 01.08.2022 को प्राप्त निर्देशों के अनुरूप अपीलार्थी को दिनांक 22.08.2022 एवं दिनांक 16.02.2022 के द्वारा अक्टूबर, 2019 से मई, 2021 तक अवकाश स्वीकृति हेतु प्रकरण निर्धारित प्रपत्र में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया, जिसका अपीलार्थी द्वारा कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। उन्होंने भी निवेदन किया कि अपीलार्थी की सेवापुस्तिका में उक्त अवधि का कोई भी सेवा सत्यापन अंकित नहीं है और न ही उक्त अवधि की अपीलार्थी की उपस्थिति के सम्बन्धित कोई भी प्रमाणित साक्ष्य मौजूद है। निदेशालय से प्राप्त निर्देशानुसार अपीलार्थी को उक्त अवधि का अवकाश स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में अवकाश आवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु बार–बार दूरभाष संदेश व दिनांक 22.08.2022 एवं 16.09.2022 को जरिये पत्र सूचित किया गया है, परन्तु अपीलार्थी द्वारा अवकाश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके कारण अपीलार्थी को

उक्त अवधि के वेतन का भुगतान किया जाना नियमानुसार संभव नहीं है और इसी वजह से पेंशन प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब हो रहा है, जिसके लिये अपीलार्थी स्वयं जिम्मेदार है। उनका यह भी निवेदन कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खुरीकलां, दौसा के स्टाफ उपस्थिति रजिस्टर की माह अक्टूबर, 2019 से जून, 2021 तक की प्रमाणित प्रतिलिपि जवाब अपील के साथ आर–1 संलग्न है, जिससे यह प्रमाणित है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 30.10.2019 को कार्य ग्रहण करने के उपरान्त दिनांक 31.10.2019 से दिनांक 20.06.2021 तक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खुरीकलां, दौसा में उपस्थिति नहीं दी गयी है। अपीलार्थी द्वारा जिस प्रकार का अनुतोष चाहा गया है वह नियमानुसार नहीं है। अतः अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी निरस्त फरमायी जावे।

4. हमने उभय पक्षकारों के तर्को पर मनन किया और पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

5. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी ने उपस्थिति पंजिका में अपनी उपस्थिति दर्ज करायी थी, जो अनुलग्नक–आर/2 है। इसके विपरीत प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता का तर्क है कि अनुलग्नक–आर/2 अपीलार्थी ने बाद में बनाकर जरिये वाट्सअप प्रस्तुत की है, जो केवल मात्र अपीलार्थी द्वारा स्वयं के सम्बन्ध में अलग से उपस्थिति दर्ज करने हेतु संधारित की गयी है, जबकि विद्यालय में संधारित उपस्थिति पंजिका अनुलग्नक–आर/1 है, जिसमें अपीलार्थी की उपस्थिति दर्ज नहीं है।

6. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी का जब पूर्व में स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 के द्वारा राउमावि, खुरीकलां से राबाउमावि, गैराई करौली में किया गया था, तो उसे अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगित किया था एवं माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 24.10.2019 में स्पष्ट रूप से निर्देश दिये थे कि अपीलार्थी अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करे एवं अपील में आदेश पारित होने तक वर्तमान पदस्थापन स्थान से अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं किया जाए एवं उसके विरूद्ध सख्त कार्यवाही नहीं की जावे। माननीय उच्च न्यायालय की यहीं मंशा रही है कि

अपीलार्थी को खुरीकलां, दौसा में ही कार्यरत रखा जावें। बाद में अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 17.06.2021 के द्वारा खुरीकलां दौसा से राउमावि, तालचिडी, महुवा जिला दौसा में किया गया, जिस कारण से अपीलार्थी को दिनांक 21.06.2021 को कार्यमुक्त किया गया। उक्त कार्य मुक्ति आदेश राउमावि, खुरीकलां के प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी दिनांक 21.06.2021 तक राउमावि, खुरीकलां जिला दौसा में ही कार्यरत रहा है। यह भी स्पष्ट है कि दिनांक 21.06.2021 को अपीलार्थी को खुरीकलां से ही कार्यमुक्त किया गया।

7. हमारे मत में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 21.06.2021 से प्रकट होता है कि अपीलार्थी को राउमावि, तालचिडी, महुवा में उपस्थिति देने के लिये राउमावि, खुरीकलां, जिला दौसा के प्रधानाचार्य द्वारा कार्यमुक्त किया गया। ऐसे में अपीलार्थी के दिनांक 21.06.2021 को राउमावि, खुरीकलां दौसा में ही कार्यरत होना उक्त कार्य मुक्ति आदेश से प्रमाणित होता है।
8. अपीलार्थी के राउमावि, खुरीकलां में ही कार्यरत रखे जाने का अंतरिम आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने दिया था और बाद में अपीलार्थी को खुरीकलां के प्रधानाचार्य द्वारा कार्यमुक्त किया गया है। ऐसे में स्पष्ट है कि अपीलार्थी अवधि अक्टूबर, 2019 से मई, 2021 तक राउमावि, खुरीकलां में ही कार्यरत रहा था, अतः इस अवधि में अपीलार्थी को वेतन का भुगतान नहीं किया जाना अनुचित है।
9. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया जाता है कि वह अपीलार्थी को माह अक्टूबर, 2019 से मई, 2021 की अवधि के वेतन का भुगतान इस आदेश के जारी होने के तीन माह की अवधि में करें।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)